



न्यायालय की अवमानना

प्रलिस के लयः

न्यायालय की अवमानना, सर्वोच्च न्यायालय (SC), NCLAT (राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधकरण), कारण बताओ नोटस, भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), न्यायालय की अवमानना अधनियम, 1971

मेन्स के लयः

न्यायालय की अवमानना, कार्यपालका और न्यायपालका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [NCLAT \(राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधकरण\)](#) के दो सदस्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।

- न्यायालय ने **फनिलेक्स केबल्स मामले** में यथास्थिति बनाए रखने के सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश के बावजूद नरिणय सुनाने के लय सदस्यों को **कारण बताओ नोटस** जारी कयि है।

नोट: कारण बताओ नोटस एक न्यायालय, सरकारी एजेंसी या किसी अन्य आधकारिक नकाय द्वारा किसी व्यक्तया संस्था को जारी की गई एक औपचारिक सूचना है, जसमें उनसे अपने कार्यों, नरिणयों या व्यवहार को लेकर सफाई देने या उचित ठहराने के लय कहा जाता है। कारण बताओ नोटस का उद्देश्य प्राप्तकर्त्ता को बशिश्ट चतियाँ या कथति उल्लंघनों के संबंध में प्रतकरिया या स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर देना है।

मामले का संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले संवीक्षक को **फनिलेक्स केबल्स की आम वार्षिक बैठक** के परणाम घोषति करने का नरिदेश दयि था और NCLAT को परणाम की जानकारी मलने के बाद अपना नरिणय सुनाने के लय कहा था।
- हालाँकि NCLAT ने कथति तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश को स्वीकार कयि बना नरिणय घोषति कर दयि।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने [राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधकरण](#) (NCLT) और NCLT की कार्यप्रणाली पर चतिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन न्यायाधकरणों में कुछ समस्या प्रतीत होती हैं तथा यह मामला उस समस्या का एक उदाहरण है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संभालने के NCLAT के तरीके पर नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि NCLAT को **सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहयि था।**

न्यायालय की अवमानना:

- **परचय:**
 - न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरति हमलों और अनुचित आलोचनाओं से बचाने तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडति करने के लय एक कानूनी तंत्र के रूप में प्रयास करती है।
- **वैधानिक आधार:**
 - जब संवधान को अपनाया गया, तो न्यायालय की अवमानना को **भारत के संवधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत** बोलने और अभवियक्त की स्वतंत्रता पर प्रतबिधों में से एक बना दयि गया।
 - अलग से **संवधान के अनुच्छेद 129** ने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लय दंडति करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद

215 ने उच्च न्यायालयों को तदनुसूची शक्ति प्रदान की।

• न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है।

■ न्यायालय की अवमानना के प्रकार:

- **सविलि अवमानना:** यह किसी न्यायालय के किसी नरिणय, डकिरी, नरिदेश, आदेश, रटि या अन्य प्रक्रिया की जान-बूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिये गए वचन का जान-बूझकर उल्लंघन है।
- **आपराधिक अवमानना:** इसमें किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य शामिल है जो किसी अदालत के अधिकार को कम करता है या उसे बदनाम करता है या किसी न्यायिक कार्यवाही की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डालता है।

नोट: न्यायिक कार्यवाही की नषिपक्ष और सटीक रपिर्टिंग न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी। न ही किसी मामले की सुनवाई और नपिटारे के बाद न्यायिक आदेश की गुणवत्ता को लेकर कोई नषिपक्ष आलोचना की जाती है।

■ सजा:

- न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दोषी को छह महीने तक की कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- बचाव के रूप में "सच्चाई और सद्भावना" को शामिल करने के लिये इसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था।
- इसमें यह जोड़ा गया कि न्यायालय केवल तभी सजा दे सकता है यदि दूसरा व्यक्ति कार्य में पर्याप्त हस्तक्षेप करता है या न्याय की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।

न्यायालय की अवमानना कार्यवाही की आलोचना:

- भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संस्मरण के रूप में इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने भी अवमानना कानून समाप्त कर दिये हैं।
- अवमानना को न्यायालय के नरिदेशों/नरिणयों की केवल "स्वेच्छाचारी अवज्ञा" तक सीमित रखने और "न्यायालय को बदनाम करने" को प्रतर्बिधति करने की मांग उठाई गई है।
- यह भी कहा जाता है कि इसका परणाम न्यायिक सीमा के परे भी जा सकता है।
- वभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में अवमानना के मामले लंबित हैं, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रशासन में वलिंब होता है।

आगे की राह

- अभवियक्तकी स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में सबसे मौलिक है और उस पर प्रतर्बिध न्यूनतम होने चाहिये।
- न्यायालय की अवमानना पर कानून केवल वही प्रतर्बिध लगा सकता है जो न्यायिक संस्थानों की वैधता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।
- इसलिये स्वाभाविक न्याय और नषिपक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उस प्रक्रिया को परभिषति करने वाले नयिम एक्ंशि-नरिदेश तैयार किये जाएँ जो आपराधिक अवमानना पर कार्रवाई करते समय वरषिट न्यायालयों को अपनाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2022)

1. एच.एन. सान्याल समतिका रपिर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारति कयिा गया था।
2. भारत का संवधिान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लयि दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है।
3. भारत का संवधिान सविलि अवमानना और आपराधिक अवमानना को परभिषति करता है।
4. भारत में न्यायालय की अवमानना के वषिय में कानून बनाने के लयि संसद में शक्ति निहिति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 4
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

